छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 114/2006</u>

श्री नितिन सिंघवी, ... आवेदक
एम.आई.जी. 59, सेक्टर–1
शंकर नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . अनावेदक
कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(19 जून 2006)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

आवेदक श्री नीतिन सिंघवी के द्वारा अधिनियम की धारा–18 के अंतर्गत शिकायत की गई कि अपील अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं तथा आदेश में गलत तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं।

आवेदक ने चाही गई जानकारी दिये जाने पर लेने से इंकार किया तथा डाक से भेजने के लिए कहा। आवेदक ने 1.00 लाख रूपए का हर्जाना चाहा है।

शिकायत प्राप्त होने पर प्रतिपक्ष को नोटिस दिया गया। सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि आवेदक को प्रथम अपील की सुनवाई के समय जानकारी दिये जाने की कार्यवाही की गई। आवेदक विभाग के प्रति दुर्भावना एवं स्तरहीन कथन कर रहे हैं। प्रमुख अभियंता ने अपने जवाब में बताया कि अधिनियम में प्रथम अपील के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अपील की सुनवाई उन्हीं

के द्वारा की जाती है, किन्तु सहायता के लिए विभाग में पदस्थ अधिकारी उपलब्ध रहते हैं। अधिकारियों के द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं आवेदक का कथन स्टेनो द्वारा कम्प्यूटर पर इन्द्राज किया जाता है। अपील कार्यालयीन अभिलेखों एवं लिखित कथनों के आधार पर निराकरण की जाती है। आवेदक का यह कथन भी सही नहीं है कि आवेदक पर कोई आरोप लगाये गये हैं।

आयोग द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। अधिनियम की धारा–18 में जिन विषयों पर शिकायत की जा सकती है, वह विषय आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख नहीं किया कि कौन–सी जानकारी उन्होंने मांगी थी तथा समय–सीमा पर उन्हें प्राप्त नहीं हुई अथवा ऐसी कोई जानकारी उन्हें दी गई, जिसे वह अनुचित समझता हो या उसे भ्रम में डालने वाला या अपूर्ण जानकारी दी गई। उसने ऐसा भी कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने कौन–से अभिलेखों के लिए अनुरोध किया था जो कि सूचना अधिकारी के पहुंच में थे तथा उसे नहीं दिये गये। केवल आवेदक की शिकायत यह है कि अपील अधिकारी के द्वारा सूचना अधिकारी से कम स्तर के अधिकारी से अपील की सुनवाई कराई जाती है, किन्तु अपील अधिकारी के जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रकरण की सुनवाई वे स्वयं करते हैं, फिर केवल कार्यालयीन सहायता के लिए अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता ली जाती है तथा अपील में अभिलेखों तथा तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जाता है।

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के द्वारा संयत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः पत्रव्यवहार में संयत एवं सद्भावपूर्ण भाषा का उपयोग किया जावे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आवेदक को नियमानुसार मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तथा जन सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करे तथा प्रथम अपील अधिकारी भी अपील प्रस्तुत होने पर समुचित तथ्यों पर विचार कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ अपील का निराकरण करे।

दोनों पक्षों को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में संयत भाषा का उपयोग करें। शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त